विचार बिन्दु

हमारी आनंदपूर्ण बदकारियाँ ही हमारी उत्पीड़क चाबुक बन जाती हैं। –शेक्सपियर

आज़ादी के बाद: अगली आज़ादी किससे?

हर 15 अगस्त को मैं ख़ुद से एक सवाल पूछता हूँ–क्या हम वाकई आज़ाद हो गए हैं? ख़ुद ही जवाब भी देता हूँ–हाँ, 15 अगस्त, 1947 को हम विदेशी शासन के चंगुल से मुक्त हो गए थे। एक अभिनेत्री का वह कथन भी याद आता है, जिसमें उन्होंने 1947 में देश के आज़ाद होने की बात ही अस्वीकार कर दी थी। फिर लगता है कि उन्हें गंभीरता से लेना अपना वक़्त बरबाद करना है। मेरे लिए यह तथ्य विवाद से परे है कि हमारा देश 15 अगस्त, 1947 को आज़ाद हुआ। अब मैं यह सोचना चाहता हूँ कि 1947 से अब तक हमने जो कुछ किया है, उसके बाद और क्या करने की ज़रूरत है।

ऐसा तो है नहीं कि हमने सब कुछ हासिल कर लिया है और कुछ भी करने को शेष नहीं बचा है। देश की आज़ादी के बाद हमारे तत्कालीन दृष्टिसंपन्न नेतृत्व ने संस्थाओं का एक मज़बूत ढाँचा खड़ा किया, जो तमाम उठा-पटक के बावजूद आज भी बना हुआ है। हमने लोकतंत्र की ऐसी मज़बूत नींव डाली कि हमारे कई पड़ोसी देश उससे दूर भाग गए, लेकिन हम अब भी लोकतांत्रिक बने हुए हैं। कृषि, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की। बड़े कारखानों और बाँधों का नेटवर्क बनाया और वैश्विक पटल पर भारत को एक अहम शक्ति के रूप में स्थापित किया। पंचशील और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में हमारी पहल को ससम्मान स्मरण किया जा सकता है। यह सूची बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन आज मैं केवल इतना पूछना चाहता हूँ–अब हमें किससे आज़ादी चाहिए?

सबसे पहली आज़ादी मैं अशिक्षा और घटिया शिक्षा से चाहूँगा। यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि आज़ादी के बाद के प्रारंभिक वर्षों में शिक्षा के प्रसार को लेकर जैसा उत्साह था, वह अब दिखाई नहीं देता। सरकारी स्कूलों की संख्या में कमी और अनेक विद्यालयों के बंद होने की खबरें चिंताजनक हैं। इससे भी अधिक चिंताजनक यह है कि शिक्षा की गुणवत्ता और उसकी पहुँच को लेकर हम अब भी संतुष्ट होने की स्थिति में नहीं हैं। उच्च शिक्षा की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। दुनिया के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की सूचियों में भारतीय संस्थानों की उपस्थिति हमारी आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है। शिक्षा पर सार्वजनिक निवेश हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में होना चाहिए। किसी भी सरकार का पहला दायित्व होना चाहिए कि वह अपने नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा दे। ऐसा न हो कि अमीर का बच्चा अच्छी शिक्षा पाए और ग़रीब का बच्चा केवल इसलिए पीछे रह जाए कि उसके माता-पिता उसके लिए महँगी शिक्षा ख़रीद नहीं सकते। अगली आज़ादी शिक्षा के ऐसे बाज़ार से भी चाहिए–जहाँ अवसर का निर्धारण प्रतिभा से अधिक जेब करने लगे।

शिक्षा के बाद बात आती है स्वास्थ्य की। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ रहा है और निजी क्षेत्र के महँगे अस्पताल तेज़ी से फैल रहे हैं। जिनके पास पैसा है, वे कहीं भी अपना इलाज करा सकते हैं; लेकिन आम नागरिक कहाँ जाए? सरकार के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत आज लगभग 80 करोड़ लोग मुफ्त खाद्यान्न पा रहे हैं। यह हमारी आर्थिक स्थिति का प्रामाणिक सूचक है। मुफ्त अनाज ज़रूरी हो सकता है, लेकिन वह स्थायी जीवन-व्यवस्था का विकल्प नहीं हो सकता। स्वास्थ्य-सहायता भी ऐसी होनी चाहिए कि किसी परिवार को बीमारी के कारण अपनी बचत, घर या भविष्य न बेचना पड़े। बीमारी और इलाज की मजबूरी से आज़ादी भी नागरिक की आज़ादी का ही हिस्सा है।

देश की एक बड़ी समस्या बेरोज़गारी है। शिक्षा का प्रसार हुआ है, लोगों की आकांक्षाओं को पंख लगे हैं, लेकिन हम अपनी आबादी के बहुत बड़े हिस्से को पर्याप्त और सम्मानजनक रोजगार दे पाने में नाकाम रहे हैं। वादे बहुत किए गए, लेकिन वे यथार्थ में रूपांतरित नहीं हुए। रोजगार का चेहरा बदल रहा है, नई तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता काम करने के तरीके बदल रही है, लेकिन हमारी शिक्षा और कौशल-व्यवस्था उसी गति से नहीं बदल रही। जब तक हम अपनी युवा पीढ़ी को बेरोज़गारी और असुरक्षित भविष्य से आज़ादी नहीं दिलाएँगे, हम सच्चे अर्थों में ख़ुद को आज़ाद कहने के हक़दार कैसे होंगे? बेरोज़गारी से जुड़ी समस्या भूख और कुपोषण की भी है। अभी मैंने 80 करोड़ लोगों को दिए जा रहे सरकारी अनाज की बात की। यह सराहनीय है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं है। हमारा लक्ष्य ऐसा समाज होना चाहिए जिसमें लोग सरकारी अनाज के मोहताज न रहें, बल्कि इतना कमाएँ कि अपने और अपने परिवार के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित कर सकें। भूख से आज़ादी किसी भी सभ्य समाज की पहली शर्त होनी चाहिए।

इसके साथ ही हमें आर्थिक असमानता से भी आज़ादी चाहिए। हमारे संविधान की मूल आकांक्षा सामाजिक और आर्थिक न्याय तथा समानता की थी। लेकिन आज अमीर और ग़रीब के बीच की खाई बहुत चौड़ी हो गई है। असमानता केवल आर्थिक नहीं होती। जाति, लिंग, धर्म, क्षेत्र और अवसर-हर जगह उसके अलग-अलग रूप दिखाई देते हैं। हमारा सपना ऐसा समाज होना चाहिए जिसमें किसी व्यक्ति की संभावनाएँ उसके जन्म से तय न हो जाएँ। समानता होगी, तभी मानवीय गरिमा भी स्थापित और संरक्षित होगी। आज़ादी के बाद सपना यह देखा गया था कि देश में जात-पाँत और मज़हब की दीवारें कमज़ोर होते-होते लुप्त हो जाएँगी। लेकिन हुआ इसका उलटा। जातीय अस्मिताएँ कई बार और आक्रामक हुईं और इससे सामाजिक समरसता को क्षति पहुँची। इधर कुछ समय से हिंदू-मुसलमान की राजनीति भी अपना कुरूप चेहरा ज़ोर-शोर से दिखाने लगी है। राजनीतिक हितों की साधना के लिए अलग-अलग धर्मों के बीच वैमनस्य फैलाने के संगठित प्रयास होते हैं। यह देश के लिए बेहद घातक है। सांप्रदायिक और जातिगत वैमनस्य से मुक्ति हमारी सबसे बड़ी ज़रूरतों में से एक है।

> **हमें प्रकृति के विनाश से भी आज़ादी चाहिए-या कहें कि प्रकृति को हमारे विनाश से आज़ादी चाहिए। नदियाँ प्रदूषित हों, शहर दमघोंटू होते जाएँ, भूजल घटता जाए, जंगल कटते जाएँ और फिर भी हम विकास की अपनी परिभाषा पर गर्व करते रहें, तो यह कैसी आज़ादी है? आने वाली पीढ़ियों से उनके हिस्से की हवा, पानी और हरियाली छीनकर हम उन्हें कौन-सा स्वतंत्र भारत सौंपेंगे?**

और यह मुक्ति केवल दूसरों से नहीं, अपने भीतर के पूर्वाग्रहों से भी होनी चाहिए।

भारत में लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र केवल वोट डाल देने का नाम नहीं है। लोकतंत्र का अर्थ है कि सत्ता जनता के प्रति जवाबदेह हो, संसद में सार्थक बहस हो, संस्थाएँ स्वतंत्र होकर काम करें और नागरिक को सवाल पूछने का अधिकार हो। दुर्भाग्य से धीरे-धीरे लोक पर तंत्र हावी होता दिखाई देता है। सरकार और जनता के बीच दूरी बढ़ रही है। संसद, संस्थाओं और नागरिक समाज की भूमिका को लेकर सवाल उठते हैं। सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही जितनी अधिक होगी, लोकतंत्र उतना ही स्वस्थ होगा। हमारे संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच संतुलन और परस्पर नियंत्रण की जो व्यवस्था बनाई थी, उसकी स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करना ज़रूरी है। लोकतंत्र में कोई भी संस्था इतनी शक्तिशाली नहीं हो सकती कि उसके ऊपर सवाल उठाना ही अपराध समझ लिया जाए। सत्ता से सवाल पूछने की आज़ादी लोकतंत्र की प्राणवायु है।

इसी से जुड़ी एक और आज़ादी है–अभिव्यक्ति की आज़ादी।लोकतंत्र में नागरिक को अपनी बात कहने, असहमति जताने और सत्ता की आलोचना करने का अधिकार होना चाहिए। मीडिया से भी यही अपेक्षा है कि वह सत्ता का प्रचार माध्यम बनने के बजाय जनता की आँख और कान बना रहे। सोशल मीडिया ने अभिव्यक्ति के अवसर तो बढ़ाए हैं, लेकिन झूठ, नफ़रत और दुष्प्रचार को भी अभूतपूर्व गति दी है। इसलिए हमें केवल बोलने की नहीं, सच और झूठ में फर्क करने की आज़ादी और क्षमताभी चाहिए।

एक बड़ी ज़रूरत इस आज़ादी की भी है कि हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि आसमान से उतरकर धरती पर आएँ और उनसे जीवंत संवाद बनाएँ जिन्होंने उन्हें चुनकर भेजा है। वे जब भी हमारे गाढ़े पसीने की कमाई का पैसा खर्च करें तो यह सोचें कि इससे आम जन का कोई कल्याण हो रहा है या नहीं। अभी तो कई बार ऐसा लगता है कि सरकारी धन को माल-ए-मुफ़्त समझकर खर्च कर दिया जाता है और जब जनता कोई बुनियादी सुविधा माँगती है तो वित्तीय संसाधनों की कमी का हवाला दिया जाता है। सरकारी विज्ञापनों पर होने वाला अनावश्यक खर्च हो या सत्ता के लोगों की यात्राएँ–जनता को यह जानने का अधिकार है कि उसके पैसे का इस्तेमाल क्यों और किस परिणाम के लिए हुआ। सार्वजनिक धन के प्रति जवाबदेही से आज़ादी नहीं, बल्कि जवाबदेही की माँग करने की आज़ादी चाहिए।

और एक आज़ादी, जिसकी चर्चा हम बहुत कम करते हैं, वह है स्त्री को भय से आज़ादी। किसी महिला का घर से बाहर निकलना, काम करना, अपनी पसंद का जीवन चुनना या अपनी बात कहना इस बात पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि समाज उसे कितनी अनुमति देता है। जिस देश की आधी आबादी भय, हिंसा और भेदभाव से पूरी तरह मुक्त नहीं है, वह देश अपने को पूर्णत: स्वतंत्र कैसे कह सकता है?

हमें प्रकृति के विनाश से भी आज़ादी चाहिए–या कहें कि प्रकृति को हमारे विनाश से आज़ादी चाहिए। नदियाँ प्रदूषित हों, शहर दमघोंटू होते जाएँ, भूजल घटता जाए, जंगल कटते जाएँ और फिर भी हम विकास की अपनी परिभाषा पर गर्व करते रहें, तो यह कैसी आज़ादी है? आने वाली पीढ़ियों से उनके हिस्से की हवा, पानी और हरियाली छीनकर हम उन्हें कौन-सा स्वतंत्र भारत सौंपेंगे?

और शायद सबसे कठिन आज़ादी है–अपने भीतर से आज़ाद होने की। अंधभक्ति से, पूर्वाग्रह से, नफ़रत से, झूठ से, भीड़ के साथ बह जाने की आदत से और उस सुविधा से जिसमें हम अपने अधिकार तो याद रखते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य भूल जाते हैं।

अंतत: मैं जिस आज़ादी को सबसे अधिक ज़रूरी मानता हूँ, वह है संविधान के प्रति हमारी निष्ठा की आज़ादी–हर उस आग्रह से आज़ादी जो संविधान से ऊपर किसी व्यक्ति, दल, धर्म, जाति या सत्ता को रखता है। संविधान केवल सरकार चलाने की किताब नहीं है; वह उस भारत का सपना है जिसमें नागरिक की गरिमा, स्वतंत्रता, समानता और न्याय सुरक्षित रहें। हमारी प्रतिबद्धता किसी व्यक्ति विशेष या राजनीतिक दल के प्रति नहीं, संविधान और उसके मूल्यों के प्रति होनी चाहिए।

1947 की आज़ादी हमारे पूर्वजों ने हमें दी थी। उन्होंने विदेशी सत्ता से मुक्ति दिलाई और हमारे हाथ में अपना भविष्य सौंप दिया। अब अगली आज़ादी की बारी हमारी है। हमें तय करना होगा कि अगली पीढ़ी को हम कैसा भारत सौंपेंगे–ऐसा भारत जो केवल आर्थिक रूप से बड़ा हो या ऐसा भारत भी जो मनुष्य के लिए बड़ा हो? ऐसा भारत जहाँ गगनचुंबी इमारतें हों, लेकिन झुग्गियाँ भी हों; जहाँ दुनिया की सबसे तेज़ ट्रेनें हों, लेकिन सरकारी स्कूलों में अच्छे शिक्षक न हों; जहाँ हम अंतरिक्ष में पहुँच जाएँ, लेकिन धरती पर एक-दूसरे से दूर होते जाएँ–क्या ऐसा भारत हमारी आज़ादी का पूरा सपना होगा? 1947 में हमने विदेशी पराधीनता से मुक्ति पाई थी। अब हमें उन तमाम बेड़ियों से मुक्त होना है जिन्हें हमने विकास, परंपरा, राजनीति, धर्म, सुविधा और अपनी आदतों के नाम पर ख़ुद अपने पैरों में डाल लिया है।

शायद यही हमारी अगली आज़ादी होगी।

–अतिथि संपादक,
डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल,
(शिक्षाविद और साहित्यकार)

साइबर अपराधों पर लगाम लगाने में बैंकों की भूमिका : अब जवाबदेही तय करने का समय

सुनील दत्त गोयल

भारत तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। आज करोड़ों लोग इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल भुगतान का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साइबर धोखाधड़ी, फर्जी खातों, मनी म्यूल खातों, ऑनलाइन ठगी और आर्थिक अपराधों के मामलों में भी तेज़ी से वृद्धि हुई है। लाखों लोगों की मेहनत की कमाई कुछ ही मिनटों में साइबर अपराधियों के खातों में पहुंच जाती है और बाद में उसे विभिन्न खातों के माध्यम से निकाल लिया जाता है।

ऐसी स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आखिर बैंकिंग प्रणाली की भूमिका क्या है? जब लगभग हर साइबर अपराध में किसी न किसी बैंक खाते का उपयोग होता है, तो क्या केवल अपराधियों को पकड़ना पर्याप्त है या बैंकिंग व्यवस्था को भी अधिक जवाबदेह बनाया जाना चाहिए?

साइबर अपराध और बैंक खातों का संबंध :-आज अधिकांश साइबर अपराधों में फर्जी या संदिग्ध बैंक खातों का उपयोग होता है। ऑनलाइन ठगी की राशि पहले इन्हीं खातों में जमा होकर बाद में कई खातों के माध्यम से स्थानांतरित कर दी जाती है। यदि बैंक प्रारंभिक स्तर पर ऐसे खातों की पहचान कर लें, तो बड़ी संख्या में साइबर अपराध रोके जा सकते हैं। समस्या यह है कि खाता खोलते समय ग्राहक की पृष्ठभूमि, आय के स्त्रोत, व्यवसाय और संभावित लेन-देन का पर्याप्त सत्यापन नहीं होता, जिससे ऐसे खाते अपराधियों के लिए आसान माध्यम बन जाते हैं।

केवल केवाईसी नहीं, प्रभावी केवाईसी की आवश्यकता :- वर्तमान में बैंक खाता खोलते समय केवाईसी केवल औपचारिकता बनकर रह जाती है। आवश्यकता है कि इसे एक बार की प्रक्रिया नहीं, बल्कि निरंतर व्यवस्था बनाया जाए। आरबीआई को सभी बचत खातों की नियमित री-केवाईसी सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि पता, मोबाइल नंबर, व्यवसाय, आय का स्त्रोत और अनुमानित वार्षिक आय अद्यतन रहें। यदि घोषित आय के विपरीत खाते में अचानक लाखों रुपये का लेन-देन होने लगे, तो वह स्वत: जांच का विषय बनना चाहिए।

आय आधारित ट्रांजैक्शन प्रोफाइलिंग :- बैंकिंग प्रणाली में प्रत्येक बचत खाते के लिए आय और व्यवसाय आधारित ट्रांजैक्शन प्रोफाइल बनाई जानी चाहिए। यदि 40,000 मासिक आय घोषित करने वाले व्यक्ति के खाते में अचानक 5-10 लाख जमा हों, तो बैंक को स्वत: अलर्ट मिले और खाताधारक से धन के स्त्रोत की पुष्टि की जाए। इसका उद्देश्य सामान्य ग्राहकों को परेशान करना नहीं, बल्कि संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों की समय रहते पहचान करना होना चाहिए।

रियल-टाइम ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग अनिवार्य बने -आज अधिकांश बैंक तकनीकी रूप से इतने सक्षम हैं कि वे असामान्य गतिविधियों को तुरंत पहचान सकते हैं। फिर भी कई बार साइबर अपराध से जुड़ी राशि कुछ घंटों में ही कई खातों में स्थानांतरित होकर गायब हो जाती है।

बैंकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स आधारित रियल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करना चाहिए जो निम्न स्थितियों में स्वत: अलर्ट जारी करे–

अचानक बड़े लेन-देन, कम समय में बार-बार ट्रांसफर, अलग-अलग राज्यों से संचालित खातों में गतिविधि, लंबे समय तक निष्क्रिय रहे खाते में अचानक भारी ट्रांजैक्शन, संदिग्ध यूपीआई और आईएमपीएस लेन-देन। ऐसे मामलों में राशि को सीमित अवधि के लिए होल्ड करने तथा सत्यापन की व्यवस्था विकसित की जा सकती है।

मनी म्यूल खातों की पहचान - साइबर अपराधों में बड़ी संख्या में तथाकथित ''मनी म्यूल'' या किराए के बैंक खातों का उपयोग होता है, जिन्हें कुछ लोग कमीशन के लालच में दूसरों को इस्तेमाल करने देते हैं। ऐसे खातों की पहचान के लिए बैंकों को विशेष एल्गोरिदम विकसित करने चाहिए। जिन खातों में लगातार विभिन्न स्त्रोतों से धन आए और तुरंत आगे भेज दिया जाए, उन्हें स्वत: उच्च जोखिम श्रेणी में रखकर जांच की जानी चाहिए।

बैंक कर्मचारियों की जवाबदेही तय हो -बैंकिंग प्रणाली की विश्वसनीयता तभी बनी रह सकती है जब कर्मचारियों की जवाबदेही स्पष्ट हो। यदि किसी फर्जी खाते, संदिग्ध खाते या साइबर अपराध से जुड़े खाते के खुलने में किसी कर्मचारी की लापरवाही या मिलीभगत सामने आती है, तो उसके खिलाफ सख्त विभागीय और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।

इसके लिए निम्न व्यवस्था लागू की जा सकती है -प्रत्येक खाते को खोलने वाले कर्मचारी का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए। संदिग्ध खाते मिलने पर संबंधित कर्मचारी की भूमिका की जांच हो। जानबूझकर नियमों की अनदेखी करने पर बैंकिंग क्षेत्र में निश्चित अवधि तक कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया जाए। गंभीर मामलों में आपराधिक मुकदमा चलाया जाए।

आधार आधारित समेकित बैंकिंग निगरानी-वर्तमान में एक व्यक्ति विभिन्न बैंकों में कई खाते संचालित कर सकता है, जिससे साइबर अपराधियों के वित्तीय लेनदेन को ट्रैक करना कठिन हो जाता है। आरबीआई और बैंकों को आधार एवं पैन से जुड़े खातों का सुरक्षित, नियामकीय समन्वित तंत्र विकसित करना चाहिए, ताकि किसी एक खाते के साइबर अपराध में शामिल पाए जाने पर उसके अन्य बैंकों में खुले खातों की भी तुरंत जांच हो सके और संदिग्ध लेनदेन की समय रहते पहचान की जा सके।

इसी प्रकार, यदि कोई व्यापारी किसी बैंक से 10 करोड़ या उससे अधिक का ऋण लेता है, तो आरबीआई के नियमों के तहत उसके अन्य बैंक खातों पर भुगतान सुविधा सीमित कर दी जाती है तथा उसकी जमा राशि निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऋणदाता बैंक को स्थानांतरित की जाती है। जब बड़े ऋण खातों के लिए ऐसी समन्वित बैंकिंग व्यवस्था संभव है, तो उपयुक्त कानूनी प्रावधानों, गोपनीयता सुरक्षा और नियामकीय नियंत्रणों के साथ बचत खातों के लिए भी सुरक्षित इंटर-बैंक समन्वय प्रणाली विकसित की जा सकती है। इससे ठगी की राशि को विभिन्न खातों में तेजी से स्थानांतरित करने पर रोक लगेगी और साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा।

पीओएस मशीन और व्यापारी खातों का पुन: सत्यापन -कई साइबर अपराधों में पीओएस मशीनों और व्यापारी खातों का दुरुपयोग भी सामने आया है। इसलिए बैंकों को समय-समय पर इनका भौतिक सत्यापन करना चाहिए। पीओएस मशीन केवल वास्तविक व्यापारिक गतिविधियों वाले खातों को जारी की जाए। व्यापारी के व्यवसाय का सत्यापन किया जाए। निष्क्रिय या संदिग्ध पीओएस मशीनों को तत्काल बंद किया जाए। पीओएस मशीनों को प्राथमिक रूप से करंट अकाउंट से जोड़ा जाए।

केंद्रीकृत साइबर फ्रॉड रिस्पॉन्स सिस्टम -साइबर अपराध में शुरुआती कुछ घंटे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। यदि ठगी की राशि तुरंत रोकी जाए, तो पीड़ित को राहत मिल सकती है। इसके लिए बैंकों, आरबीआई, पुलिस, आयकर विभाग और साइबर क्राइम पोर्टल के बीच एकीकृत रियल-टाइम रिस्पॉन्स सिस्टम होना चाहिए, ताकि संदिग्ध लेनदेन की सूचना तुरंत संबंधित एजेंसियों तक पहुंचे और राशि के आगे स्थानांतरण को रोका जा सके।

साइबर ठगी का पैसा कुछ ही मिनटों में कई बैंक खातों और कई बार विदेशों तक पहुंच जाता है। इसलिए असामान्य विदेशी ट्रांसफर या निष्क्रिय खातों में अचानक बड़ी राशि आने पर अतिरिक्त सत्यापन, अस्थायी रोक और समयबद्ध जांच अनिवार्य होनी चाहिए। भेजने और प्राप्तकर्ता दोनों बैंकों की जिम्मेदारी तय हो तथा आरबीआई के दिशा-निर्देशों, आधारित फ्रॉड मॉनिटरिंग और बेहतर इंटर-बैंक समन्वय का कड़ाई से पालन किया जाए। भारत की आबादी एवं आधुनिक अपराधियों के मुकाबले में पुलिस के संख्या बल में काफी कमी है। आवश्यकता है कि पुलिस की संख्या में वृद्धि अंतरराष्ट्रीय मानकों से भी अधिक भारत में की जाए। साथ ही उनका अत्याधुनिकीकरण, चाहे वह तकनीक के हिसाब से हो या हथियारों के, तथा उनकी लगातार ट्रेनिंग देते रहना बहुत आवश्यक है।

साइबर अपराधों की रोकथाम में बैंक और मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियां भी समान रूप से जवाबदेह हैं। बैंकों को आरबीआई के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, जबकि मोबाइल कंपनियों के पास सिम की लोकेशन, इंटरनेशनल रोमिंग और डिवाइस परिवर्तन जैसी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है।

किसी भी साइबर अपराध में इन संस्थाओं की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय कर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साइबर क्राइम अब कैंसर और नासूर का रूप ले चुका है। यदि इस पर कठोर कार्रवाई नहीं हुई, तो वह समय दूर नहीं जब साइबर ठगी के माध्यम से भारत, विशेषकर बुजुर्गों की जीवनभर की बचत, बड़े पैमाने पर विदेशों में पहुंचती रहेगी।

निष्कर्ष -यदि बैंकिंग एवं मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों को सक्रिय, जवाबदेह और तकनीकी रूप से अधिक सक्षम बनाई जाए, तो साइबर ठगी के मामलों में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है और डिजिटल अर्थव्यवस्था में जनता का विश्वास और अधिक मजबूत होगा।

रोटेरियन सुनील दत्त गोयल
महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।

नक्सल-मुक्त भारत

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है

प्रो. कैलाश सोडानी

नक्सलवाद आजाद भारत की आन्तरिक सुरक्षा के लिए लम्बे समय तक बहुत बड़ी चुनौती रही थी। यह एक उग्र, हिंसक, वामपंथी आन्दोलन था, जो चीनी नेता माओत्से तुंग की विचारधारा से प्रेरित था। नक्सलवादी विचारधारा का यह मानना था कि सशस्त्र क्रान्ति के माध्यम से ही सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन लाया जा सकता है।

नक्सलवाद शब्द प.बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाडी गाँव से प्रारम्भ हुआ। 1967 में इसी गाँव के भूमिहीन किसानों और आदिवासियों ने जमींदारों के शोषण के विरुद्ध आन्दोलन शुरू किया था। इस आन्दोलन का नेतृत्व चारू मजूमदार, कानू सान्याल एवं जंगल संथाल ने किया था। भूमिहीन किसानों एवं आदिवासियों को समाज में उपलब्ध संसाधनों के समान वितरण के नारे से एकत्रित एवं प्रभावित किया। ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को पूँजीवाद एवं सामंतवाद के विरोध में खडा किया। साठ-सत्तर के दशक में गांवों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य, सडक एवं बिजली जैसी प्राथमिक सुविधाओं का भी अभाव था। परिस्थिति जन्य समस्याओं के समाधान के लिए वामपंथियों ने गरीबों को गलत रास्ते पर धकेल दिया। गरीबों, दलितों एवं आदिवासियों को मन-मस्तिष्क से सशस्त्र क्रांति एवं वामपंथी विचारधारा के अनुरूप तैयार करने के लिए जंगलों में कैम्प लगाये जाते थे। कैम्पों में मानसिक रूप से तैयार किये गये नौजवानों के हाथों में हथियार पकडा दिये जाते थे।

नक्सली गतिविधियों का संचालन विदेशों से प्राप्त धन से किया जाता रहा। भारत विरोधी देश नक्सलवादी लोगों के सहारे एवं माध्यम से प्रजातांत्रिक सरकारों एवं सेना के विरुद्ध सशस्त्र आंदोलन कर रहे थे। हमारे सुरक्षा जवानों एवं पुलिस पर गुरिल्ला युद्ध से प्राणघातक हमला करना। सरकारी भवनों और संचार साधनों को ध्वस्त करना। दादागिरी से स्थानीय लोगों से जबरन धन वसूली करना। नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में हिंसक गतिविधियों से भय एवं असुरक्षा का वातावरण बन गया, जिससे औद्योगिक विकास रुक गया। खनिज उत्पादन से सम्बन्धित गतिविधियाँ शिथिल हो गयीं। धीरे-धीरे समानांतर शासन व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करने लग गये। बन्दूक के आगे स्थानीय प्रशासन भी सुसुप्त हो गया। प्रजातांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने के लिए गुण्डागर्दी के बल पर लोगों को चुनावों का बहिष्कार करने के लिए विवश करने लग गये। नक्सलवादियों का मूल उद्देश्य था - प्रजातांत्रिक संस्थाओं एवं न्याय व्यवस्था के प्रति जनता में अविश्वास पैदा करना।

प्रारम्भिक दौर में भूमिहीन किसानों को भूमि अधिकार दिलाने के लिए आन्दोलन प्रारम्भ किया गया था। बाद में इस आन्दोलन की बागडोर माओवादियों के हाथ चली गयी, यहीं से यह संघर्ष सशस्त्र क्रान्ति की दिशा में बढ गया। धीरे-धीरे नक्सलवाद छत्तीसगढ , झारखण्ड, उडीसा, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश के लगभग 180 जिलों में फैल गया। जिसे रेड कॉरिडोर कहा जाता था।

महिलाओं के साथ-साथ डॉक्टर, इंजीनियर, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी इस आन्दोलन से जुड गये। 2004 में कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्स) के गठन के बाद हिंसक गतिविधियों में तेजी आयी। 2008 में ओडिशा के मलकनगिरी में नक्सलियों ने जलाशय में जा रही पुलिस नाव पर गोलीबारी की, जिससे 38 कमांडो शहीद हुए। 2009 में गढचिरोली (महाराष्ट्र) में नक्सलियों ने पुलिस पर हमला किया, जिसमें 17 पुलिसकर्मी मारे गये। 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाडा में नक्सलियों ने सुरक्षा बल पर घातक हमला किया। इसमें 76 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। यह भारतीय इतिहास का सबसे घातक माओवादी हमला माना जाता है। 2010 में ही पश्चिम बंगाल में रेलवे लाइन की तोडफोड से ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस दुर्घटना ग्रस्त हुई, जिसमें 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई।

2013 में छत्तीसगढ के बस्तर जिले में नक्सलियों ने कांग्रेस पार्टी की परिवर्तन यात्रा पर हमला किया, जिसमें 25 कांग्रेसी एवं सुरक्षा-कर्मियों की हत्या हुई। 2017 में सुकमा जिले में केन्द्रीय सुरक्षा बल पर हमला किया, जिसमें 37 जवान शहीद हुए।

नक्सलवाद भारत के लिए एक जटिल सामाजिक, आर्थिक और सुरक्षा सम्बन्धी चुनौती रहा है। इसकी जडें गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, संचार एवं सडक जैसी प्राथमिक आवश्यकताओं के अभाव में निहित हैं। पिछले 12 वर्षों में केन्द्र सरकार ने सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से इस समस्या के समाधान के लिए गम्भीरता से प्रयास किये। सुखद परिणाम सामने हैं।

इस सन्दर्भ में भारत सरकार एवं केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मजबूत रणनीति और कुशल प्रशासनिक क्षमता का अभिनन्दन करते है। जिन्होंने कठोर सैन्य कार्यवाही के साथ-साथ क्षैत्र का विकास करते हुए 50-60 वर्ष पुराने नक्सलवाद जैसे केंसर को निर्धारित तिथि 31 मार्च, 2026 तक समाप्त कर दिया। जिससे देश के नौजवानों के हाथों में किताब एवं कम्प्यूटर की जगह बंदूक थमाने की विचारधारा का अन्त हुआ। सुरक्षाबलों ने 2025-26 में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म जैसे कई बडे अभियान चलाए, जिससे अनेक नक्सली ठिकाने नष्ट हुए, बडी संख्या में उग्रवादी मारे गए या गिरफ्तार हुए तथा अनेक नक्सलियों ने आत्म-समर्पण किया। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नक्सलवाद की समाप्ति में सुरक्षा अभियानों के साथ-साथ आत्मसमर्पण नीति, विकास कार्यक्रमों और प्रशासनिक सुधारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

प्रो. कैलाश सोडाणी
पूर्व कुलगुरु, वर्धमान महावीर खुला विवि, कोटा।

राशिफल सोमवार 17 अगस्त, 2026

पंडित अनिल शर्मा

सावन मास, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, सोमवार, विक्रम संवत 2083, चित्रा नक्षत्र रात्रि 4:59 तक, शुभ योग रात्रि 3:29 तक, बालव करण सायं 5:00 तक, चन्द्रमा आज सायं 4:19 से तुला राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कर्क, चन्द्रमा-कन्या, मंगल-मिथुन, बुध-कर्क, गुरू-कर्क, शुक्र-कन्या, शनि-मीन राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज रवियोग प्रात: 7:58 तक है। रात्रि 4:59 से रवियोग आरम्भ होगा। आज भाद्रपद संक्रांति है। सूर्य मघा सिंह में प्रवेश प्रात: 7:58 पर करेगा। पुण्यकाल दिन 2:22 तक है। आज तीसरा सावन वन सोमवार व्रत है। आज नाग पंचमी देशाचार से है। मनसा पूजा (बंगाल में) पूर्ण होगी।

श्रेष्ठ चौघड़िया: अमृत सूर्योदय से 7:40 तक, शुभ 9:17 से 10:54 तक, चर 2:08 से 3:45 तक, लाभ-अमृत 3:45 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 7:30 से 9:00 तक। सूर्योदय 6:03, सूर्यास्त 6:59

मेष

परिवार में चल रहे आपसी मतभेद दूर होने लगेंगे। अनहोनी की आशंका से बना हुआ मन का भय दूर होगा। विवादित मामलों का निपटारा हो सकता है।

वृष

परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज समय रचनात्मक कार्यों में व्यतीत होगा। आज महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है।

मिथुन

घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। आज परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। आज परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी।

सिंह

आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बन सकते हैं। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

कन्या

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।

तुला

व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों को मानसिक तनाव बना रहेगा। आज घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है।

वृश्चिक

आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अटका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। आज धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

धनु

व्यावसायिक कार्यों में आ रही परेशानियां दूर होने लगेंगी। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर

नवीन कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों में आ रही परेशानियां दूर होने लगेंगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

कुंभ

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

मीन

परिवार में आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में आज मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।